प्रकीर्ण वाद संख्या-७०/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ३७०/२०१७)
श्रीमती अभिलाषा आदि बनाम राजेन्द्र सिंह यादव आदि
२१.१०.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती अभिलाषा यादव, दीपिका यादव व नाबालिगान संस्कार यादव, कु. सारिका यादव जरिये संरक्षिका मॉ प्रार्थिया सं. १ द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि उपरोक्त याचिका में एम.ए.सी.टी./अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं. ६, झाँसी द्वारा दिनाँक २०.०५.२०१९ को निर्णीत की गयी है तथा न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि जरिए चेक न्यायालय में जमा कर दी है, जिसे प्रार्थीगण के हक में रिलीज किये जाने में कोई अवरोध नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रकरण में जमा धनराशि उनके पक्ष में रिलीज किये जाने की याचना की है। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती अभिलाषा यादव का शपथपत्र ४ सी२ एम.ए.सी.पी. सं. ३७०/२०१७ में पारित निर्णय एवं डिक्री की सत्यप्रतिलिपि, बीमा कम्पनी द्वारा न्यायाधिकरण में चेक जमा करने से संबंधित चेक की छाया प्रति, प्रार्थीगण के बैंक खाते की छाया प्रतियाँ व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया श्रीमती अभिलाषा ने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि उक्त प्रकरण में न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध पक्षकारों की ओर से कोई भी अपील नहीं की गई है न ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है।

एम.ए.सी.पी. सं.३७०/२०१७ में पारित निर्णय/आदेश दिनाँकित २०.०५.२०१९ के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा मुब ४,६७,७३८/- रु. का एवार्ड पारित किया गया है। उक्त एवार्ड की धनराशि में से याची सं. १ श्रीमती अभिलाषा यादव को मुब. २,४२,७३८/- रु. व समस्त ब्याज की धनराशि एवं याची सं. २ लगायत ४ प्रत्येक को ७५,०००-७५,०००/- रु. प्राप्त होने हैं। याची सं. १ व २ प्रत्येक को प्राप्त होने वाली धनराशि में से ४०-४० प्रतिशत धनराशि तीन-तीन वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में अधिक ब्याज राशि वाले खाते में जमा किया जाना है तथा याची सं. १ व २ प्रत्येक की शेष धनराशि एकाउण्ट पेयी चेक से प्राप्त होनी है। याची सं. ३ व ४ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि उनके वयस्क होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में अधिक ब्याज राशि वाले खाते में जमा किया जाना है। कार्यालय आख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थनापत्र से संबंधित एम.ए.सी.पी. सं. ३७०/२०१९ में चेक रजिस्टर के क्रमांक ७७ पर मुबलिग **५,५२,६९८**/- रु. न्यायाधिकरण के पी.एन.बी के खाते में जमा होने का इन्द्राज है। प्रार्थीगण ने अपने-अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ पत्रावली पर दाखिल कीं हैं। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में जमाशुदा धनराशि अपने-अपने बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस/नेफ्ट नकद तथा एफ.डी.आर.के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ३७०/२०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. ७०/२०२० श्रीमती अभिलाषा आदि बनाम राजेन्द्र सिंह आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:-

Applicant/ petitioner	Amount in Rs.	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursement	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Abhilasha Yadav	131079	23.71	FD for 3 years carrying	___	Any Nationalized Bank	____

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.10.23 18:55:41 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

			highest intrest			
1. Abhilasha Yadav	196619	35.58	E. Mode RTGS/ NEFT	9235201 0009281	Syndicate Bank	SYNB00 09235
2. Km. Deepika Yadav	30000	5.43	FD for 3 years carrying highest intrest	___	Any Nationalized Bank	____
2. Km. Deepika Yadav	45000	8.14	E. Mode RTGS/ NEFT	2032268 1836	State Bank of India	SBIN00 03808
3. Sanskar Yadav	75000	13.57	FD up to the majority	___	Any Nationalized Bank	____
4. Km. Sarika Yadav	75000	13.57	FD up to the majority	___	Any Nationalized Bank	____
Total	552698	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।